भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जनवरी, 2020

संख्या का०आ० 10/के०अ० 4/2016/धा०–3 तथा 3क/2020 .– वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 4), की धारा 3 की उप–धारा (1) तथा धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 66/के०अ० 4/2016/धा० 3 तथा 3क/2019, दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अधिक्रमण में, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में अपर जिला न्यायाधीश–I, II तथा III के न्यायालयों (सैशन डिवीजन, गुरूग्राम को छोड़कर) को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पचास लाख रूपये से अधिक के विनिर्दिष्ट मूल्य के मामलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करते है और आगे उक्त न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन, जिसकी पांच वर्ष से अधिक की सेवा हो) के न्यायालयों के निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के परिणाम स्वरूप होने वाली अपीलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करते हैं।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th January, 2020

No. S.O. 10/C.A. 4/2016/S. 3 and 3A/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and section 3A of the Commercial Courts Act, 2015 (Central Act 4 of 2016) and in supersession of the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O. 66/C.A. 4/2016/S.3 and 3A/2019, dated the 30th August, 2019, the Governor of Haryana after consultation with the High Court of Punjab and Haryana hereby constitutes the Courts of Additional District Judge-I, II and III in each District in the State of Haryana (except Sessions Division, Gurugram) to be the Commercial Court to decide the case of the specified value of more than fifty lacs rupees within their respective territorial jurisdiction, and further designate the said Courts to be the Commercial Appellate Courts to decide the appeals arising out of the judgments, decrees and orders of the Courts of the Civil Judge (Senior Division)/Additional Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division, having more than five years Service) for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on the said Courts under the aforesaid Act.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

57604—C.S.—H.G.P., Chd.